27-1-21

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद वर्णित भूमि का यह प्रकरण अब आगे नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि प्रकरण वादी का शुद्ध मात्र उत्तर में अंकित नहीं हुआ है। वादी अपनी समस्त खातेदारी भूमि का एक मात्र खाता विभाजन करवाने हेतु एक अन्य वाद पेश करना चाहते है तथा इस वाद को विड्रा करना चाहते है। अतः वादी के ~~विड्रा~~ वाद को विड्रा कर दूसरी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा दूसरा वाद पेश करने की स्वतंत्रता दी जाती है। [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:20:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner